# डिग्री मुकदमा इब्तदाई

(धारा 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

नाम अदालत– सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

नाम इजलास– [illegible], आर.ए.एस (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

उनवान– [illegible]

दावा बाबत – दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 20/2020(2023/253)

अतः आदेश है कि वादिया वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम मैड़ी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खाता सं. नया 7 पुराना 6 के अराजी शामिल ख.नं. 258 रकबा 0.61 हैक्टे. एवं ख.नं. 639/257 रकबा 0.60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. व खाता सं. नया 40 पुराना 39 के खसरा नं. 474/588 रकबा 0.70 हैक्टे. व खसरा नं. 497/802 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नं. 499 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 500 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.78 हैक्टे. वाके ग्राम मैड़ी का बास तहसील बसवा जिला दौसा व खाता सं. नया 71 व पुराना 67 के खसरा नं. 475 रकबा 0.53 हैक्टे. खसरा नं. 578 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं. 481/828 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे. मे वादिया के पिता रघुवीर सिंह (1/4) हिस्से मे से (1/7) अर्थात 1/28 वां हिस्सा की पैतृक भूमि की हकदार है विक्रय की गई भूमि खाता संख्या 7 रकबा 1.21 है. में से 77/484 खाता संख्या 40 रकबा 0.78 है. में सम्पूर्ण (1/4) कुल रकबा 3.24 मे से 70 है का बेचान किया जिसमे वादिया के पिता के हिस्सा 1/4 मे से वादिया 1/7 अर्थात 1/28 भाग अर्थात 0.11 है भूमि की हकदार है जो विक्रय पत्र के बाद विक्रेताओ के नाम बनी हुई हुई है। अपने हिस्से हेतु प्रार्थी नामान्तरण की अपील / रिवीजन करने हेतु स्वतंत्र है। वादिया वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण बाद तकमील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

निज_______मुबलिग........................................बाबत_____________________खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

([illegible]) आर.ए.एस.

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक),

बांदीकुई

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दालेह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बयान साक्ष्य स्टाम्प वकील खर्चा तलवाना फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | निल | निल | स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी वकालतनामा वकील खर्चा तलवाना फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान | निल | निल |

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

मु. न. 20/2020(2023/253)
न्यायालय हाजा प्रकरण दर्ज दिनांक 21.04.2023
निर्णय दिनांक 24.02.2026

उनवान

1. शांति देवी पुत्री स्व. श्री रघुवीरसिंह बेवा ओमप्रकाश जाति राजपूत निवासी मैडी तह. बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—वादिया

बनाम

1 रामचरणसिंह } पुत्रान रघुवीरसिंह
2 शिवचरणसिंह }
3 अनोप देवी बेवा रघुवीरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मैडी तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्यामलाल पुत्र मेवाराम जाति बैरवा निवासी बी–1 एक.एफ. एम.सी.डी. फ्लेट्स मालवीय नगर दक्षिणी दिल्ली 110017
5. भौरीलाल पुत्र मेवाराम जाति बैरवा निवासी मैडी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6 सुशीला पुत्री रघुवीरसिंह
7 सरोज पुत्री रघुवीरसिंह
8 ओमा पुत्री रघुवीरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मैडी तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
9. जरिये सैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
10. उपपंजीयन अधिकारी, बडियाल कलां।

—प्रतिवादीगण

## दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

### —ः निर्णय ः—

दिनांक 24.02.2026

वाद वादी दावा दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है— ग्राम मैडी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खाता सं. नया 7 पुराना 6 के आराजी खसरा नं. 256 रकबा 0.61 हैक्टे. एवं ख.नं. 639/257 रकबा 0.60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. व खाता सं. नया 40 पुराना 39 के खसरा नं. 474/585 रकबा 0.70 हैक्टे. व खसरा नं. 497/602 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नं. 499 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 500 रकबा 0.01 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.74 हैक्टे. वाके ग्राम मैडी का बास तहसील बसवा जिला दौसा व खाता सं. नया 71 व पुराना 67 के खसरा नं. 475 रकबा 0.53 हैक्टे. खसरा नं. 576 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं. 451/626 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे. वाके ग्राम मैडी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित रही है। जो कि वादिया के पिता मृतक रघुवीरसिंह पुत्र हरिसिंह के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

हिस्सेदारी हक हकूक खातेदारी अधिकारात की पुश्तैनी भूमि रही है जिसे आगे भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादिया का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है –

रघुवीरसिंह

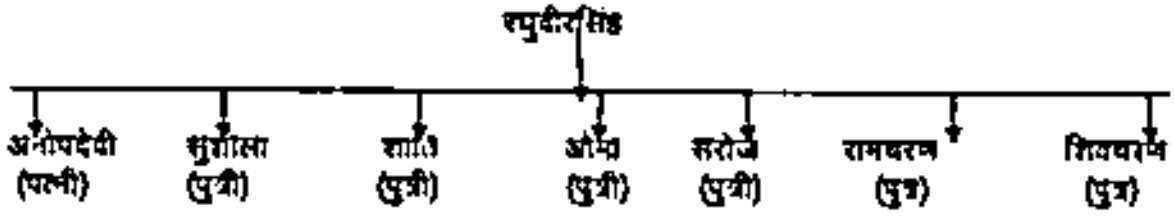

| अनोपदेवी (पत्नी) | सुहागा (पुत्री) | शांति (पुत्री) | ओमा (पुत्री) | सरोज (पुत्री) | रामचरण (पुत्र) | शिवचरण (पुत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|

वादिया के पिता रघुवीरसिंह ने अपने जीवनकाल मे ही उपरोक्त वर्णित पैरा सं 01 मे वर्णित भूमि मुतदाविया मे अपने हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवारा करके वादिया सहित प्रतिवादीगण सं 01 लगायत 03 व प्रतिवादीगण सं 06 लगायत 08, पत्नी व सभी संतानो को बराबर बराबर हिस्सो मे बांटकर काबिज करा दिया था। मुताबिक बाहमी बंटवारा वादिया अपने हिस्से पर काबिज चलता है। परन्तु वादिया के पिता रघुवीरसिंह की मृत्यु हो जाने के उपरांत प्रतिवादी सं 01 लगायत 03 ने ग्राम पंचायत मुखिया एवं राजस्व अहलकारान से सांठ गांठ करके विरासत के नामान्तकरण मे जानबूझकर बेईमानी पूर्वक वादिया शांति एवं प्रतिवादी सं. 06 लगायत 08 सहित चारो बहिनो का नाम दर्ज नही करवाया तथा गलत व अवैध नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अपने पिता मृतक रघुवीरसिंह की खातेदारी भूमि की विरासत का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादिया मृतक रघुवीरसिंह की चल व अचल सम्पति मे कानूनन बराबर हिस्से की हकदार है। इसलिये वादिया उक्त भूमि मुतदाविया मे अपना हिस्सा 1/7 की वारिसान के आधार पर उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादिया के पिता रघुवीरसिंह की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी सं. 01 व 03 ने बेईमानी पूर्वक उपरोक्त वादपत्र मे वर्णित पैरा सं. 01 मे वर्णित भूमि मुतदाविया मे से खाता सं. 7 के आराजी खसरा नं. 256 रकबा 0.61 हैक्टे. खसरा नं. 239/657 रकबा 0.60 हैक्टे. कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. मे से हिस्सा 77/484 हुआ व खाता सं. 40 के आराजी खसरा नं. 474/586 रकबा 0.70 हैक्टे खसरा नं. 497/602 रकबा 0.01 हैक्टे खसरा नं 499 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 500 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.76 हैक्टे मे से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 एवं खाता सं. 71 के आराजी खसरा न 475 रकबा 0.53 हैक्टे खसरा न 476 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं. 481/626 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे मे से प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 मे अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का बेचान प्रतिवादी सं. 04 व 05 को बयनामा दिनांक 16.08.2019 को तहरीर व तकमील करवा दिया जबकि उक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी सं. 04 व 05 को भूमि वादग्रस्त मे कोई हक कब्जा स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त नही हुआ है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी सं. 04 व 05 के हक मे दिनांक 16.08.2019 का बयनामा वादिया के हितो के विपरीत होने के कारण प्रारंभिक रूप से ही शून्य व बेअसर है। चूंकि भूमि वादग्रस्त मे वादिया का भी 1/7 हिस्सा कानूनन हक निहित है। जिसे प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने बेईमानीपूर्वक राजस्व रिकार्ड मे गलत अपने नाम खातेदारी दर्ज कराकर प्रतिवादी सं. 04 व 05 के हक मे दिनांक 16.08.2019 को बयनामा पंजीकृत करवाया है वह कानूनन वादिया के हक व अधिकारो के विपरीत है। इसलिये उक्त बयनामा दिनांक 16.08.2019 के आधार पर प्रतिवादी सं. 04 व 05 का खातेदारी मे नाम दर्ज हो गया है वह हजफ किया जाकर बयनामा दिनांक 16.08.2019 वादिया के हक व अधिकारो तक "नल व वाईड" किया जाना न्यायोचित है। वादिया ने दिनांक 21.12.2019 को जब प्रतिवादी सं 01 लगायत 03 से उक्त भूमि मुतदाविया मे अपना हिस्सा 1/7 की उद्घोषणा करवाने की कही तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये और प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने वादिया को ऐलानिया धमकी दी कि पहले भी हमने दिनांक 16.08.2019 को उक्त भूमि को प्रतिवादी सं 04 लगायत 05 को बेच दी है अब भी मौका मिलते ही अन्य दीगर व्यक्तियो को शेष बची जमीन बेचकर तुमको उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगे। अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद मे कामयाब हो गये तो वादिया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर से संभव नही हो सकेगी। वादिया को अपने हक हकूक से वंचित होना पडेगा तथा वादिया को गैर जरूरी किस्म के मुकदमे बाजी मे पडना पडेगा जिससे वादिया की बर्बादी होकर वादिया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिये

प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 05 द्वारा वादिया के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न करने और किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने से व उक्त भूमि मुतदाविया को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन, बय करने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है। बिनाय दावा व बिनाय मुखासमत दिनांक 18.08.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा अपना जबरन कब्जा करने व उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन, बय करने की धमकी देने से पैदा हुआ है व उक्त भूमि को वादिया के हिस्सा 1/7 की घोषणा करवाने की इन्कारी से पैदा हुआ है, इसलिये दावा अन्दर मियाद पेश है। न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार हासिल है, अन्दर मियाद पेश है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादिया बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुए डिक्री फरमाया जावे। खाता सं. नया 7 पुराना 5 के आराजी खातिका ख.नं. 256 रकबा 0.61 हैक्टे. एवं ख.नं. 639/257 रकबा 0.60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. व खाता सं. नया 40 पुराना 39 के खसरा नं. 474/588 रकबा 0.70 हैक्टे. व खसरा नं. 497/602 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नं. 499 रकबा 0.02 हैक्टे. खसरा नं. 500 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम मैढी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा व खाता सं. नया 71 व पुराना 67 के खसरा नं. 475 रकबा 0.53 हैक्टे. खसरा नं. 576 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं. 481/626 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे. वाके ग्राम मैढी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा स्थित है, पर वादिया अपने मृतक पिता रघुवीरसिंह की हिस्से की भूमि मुतदाविया पर कानून के अनुसार 1/7 हिस्से की भूमि मुतदाविया में उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि कि खाता सं. नया 7 पुराना 5 के आराजी खातिका ख.नं. 256 रकबा 0.61 हैक्टे. एवं ख.नं. 639/257 रकबा 0.60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. व खाता सं. नया 40 पुराना 39 के खसरा नं. 474/588 रकबा 0.70 हैक्टे व खसरा नं. 497/602 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नं. 499 रकबा 0.02 हैक्टे खसरा नं 500 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम मैढी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा व खाता सं. नया 71 व पुराना 67 के खसरा नं. 475 रकबा 0.53 हैक्टे. खसरा नं. 576 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं. 481/626 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे. वाके ग्राम मैढी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा, में स्थित रही है। जिस पर वादिया के हिस्से 1/7 में प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने एवं वादिया के कब्जे, काश्त में मजाहमत पैदा करने व वादिया को उक्त भूमि मुतदाविया से बेदखल करने से व अपने नाम हो रही खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि मुतदाविया को अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बय करने से स्वयं, नौकरो, एजेन्टो, घरवालों, मददगारो से पाबन्द रहे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा सं. 01 मे प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 द्वारा जो बयनामा दिनांक 18.08.2019 को प्रतिवादी सं. 04 लगायत 05 के हक में निष्पादित किया गया है उसके आधार से प्रतिवादी सं. 04 व 05 को खातेदारी मिली है उसी हद्द तक की जाकर बयनामा दिनांक 18.08.2019 को वादिया के 1/7 हिस्से तक "नल एवं वाईड" घोषित किया जावे । खर्चा मुकदमा वादिया को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ हो, अता फरमायी जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई।

प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 06, 07, 08 की और से जवाब दावा निम्न लिखित पेश है- वादपत्र का पैरा नम्बर 01 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित है जो अभिलेख पर मौजूद है। वादपत्र का पैरा नम्बर 02 में दर्ज शिजरा खानदान सही है स्वीकार है। वादपत्र का पैरा नम्बर 03 में दर्ज समस्त कथन गलत बेबुनियाद व मनगढ़न्त दर्ज किये गये है जो बिलकुल गलत है अस्वीकार है सही तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया व मिन प्रतिवादीगण के पिता रघुवीर सिंह की मृत्यु के उपरान्त वादिया ने अपने हिस्से की भूमि की कीमत तय कर मिन प्रतिवादीगण से वादिया ने भूमि मुतदाविया की राशि प्राप्त कर ली थी तथा पिता की मृत्यु के समय ही वादिया ने अपने हिस्से की भूमि को मिन प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को सौंप दिया था तब से मिन प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 उक्त भूमि मुतदाविया के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। व वादिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 08 की स्वतन्त्र सहमति से व मौखिक रूप से हक त्याग के उपरान्त ही मिन प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03के नाम भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ है। तथा वादिया

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible]

विवाह के कुछ समय बाद ही अपने पति की मृत्यु हो जाने के उपरान्त से ही अपने पीहर मे मिन प्रतिवादीगण के यहीं निवास कर रही है व वादिया की सेवा सुश्रषा, खान पान, भरण पोषण की समस्त जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वहन करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण संख्या 06 लगायत 08 विवाह के बाद अपनी ससुराल मे अपने परिवार सहित आबाद है जिनको प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 सामाजिक रिति रिवाज अनुसार समय समय पर भात मायरा, वार त्यौहारो व उत्सवो पर मान मनुहार, करते चले आ रहे है इस कारण वादिया व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 की स्वतन्त्र सहमति से व अन्य परिवारजन रिश्तेदारान की मौजूदगी मे प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 व वादिया द्वारा मौखिक रूप से हक त्याग करने के उपरान्त ही मिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम भूमि मुतदाविया का नामान्तकरण दर्ज हुआ है। वादिया किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा करवाने की अधिकारी नही है। वादिया द्वारा वादपत्र महज मिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने के उद्देश्य से झूठे मनगढन्त व आधार हीन तथ्यो पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र का पैरा नम्बर 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है उक्त भूमि मुतदाविया का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादिया व प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 08 की सहमति से किया गया है प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सम्बन्ध मे वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि का गलत विक्रय किया गया जिसके सम्बन्ध मे श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष वादपत्र उनयानी शान्ति बनाम अनोप देवी मुकदमा नम्बर 01/2020 प्रस्तुत किया गया जिसमे राजीनामे के आधार पर वादपत्र का निस्तारण करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया गया लेकिन माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होना मानकर तथा राजस्व न्यायालय को इस बाबत क्षेत्राधिकार होना मानकर उपरोक्त उनवानी वादपत्र को खारिज करमा दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को किये गये गलत विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने मे मिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की पूर्ण सहमति है। वादपत्र का पैरा नम्बर 05 मे वर्णित समस्त कथन गलत व मनगढन्त दर्ज किये गये है जो गलत है अस्वीकार है। मिन प्रतिवादीगण ने वादिया को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी झूठा वादकारण उत्पन्न करने के उद्देश्य से समस्त कथन गलत दर्ज किये गये है मिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 भूमि मुतदाविया के खातेदार काश्तकार है वादिया मिन प्रतिवादीगण खातेदारान को प्रतिबन्धित करवाने की कानूनन अधिकारी नही है। पैरा नम्बर 06 गलत है अस्वीकार है भूमि मुतदाविया पर वादिया का 19 एयर भूमि पर कब्जा है जो सहवन से प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को विक्रय करते समय संख्या 04 व 05 वादिया को लौटाने को तैयार है वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य केवल उक्त 19 एयर भूमि बाबत ही विवाद है। वादिया ने झूठा वादकारण उत्पन्न करने के उद्देश्य से समस्त कथन गलत दर्ज किये गये है। इसलिये वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र का पैरा नम्बर 07 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। वादपत्र का पैरा नम्बर 08 कानूनी है जवाब मोहताज नही है। अनुतोष अस्वीकार है।

अतिरिक्त कथन— वादिया अपने विवाह के कुछ समय बाद अपने पति की मृत्यु हो जाने के उपरान्त से ही अपने पीहर मे ही ग्राम मैदी मे निवास कर रही है जिसका अपने हिस्से की 19 एयर भूमि पर बजमाने बुजुर्गान कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त 19 एयर भूमि मे होने वाली पैदावार व प्राकृतिक पैदावार से लाभान्वित होकर वादिया अपना जीवन यापन करती चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हक मे दिनांक 16.08.2019 को किये गये रजिस्टर्ड बयनामा मे उक्त भूमि मुतदाविया मे वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि का भी विक्रय सहवन से हो गया जिसके उपरान्त मिन प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 04 व 05 वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि को वादिया को लौटाने को तत्पर रहे है। वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि के गलत रूप से हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 को निरस्त करवाने बाबत् श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय बांदीकुई के समक्ष वादपत्र उनवानी शान्ति बनाम अनोप देवी मुकदमा नम्बर 01/2020 प्रस्तुत किया गया जिसमे राजीनामे के आधार पर वादपत्र का निस्तारण करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया गया लेकिन माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होना मानकर तथा राजस्व न्यायालय को इस बाबत क्षेत्राधिकार होना मानकर उपरोक्त उनवानी वादपत्र को खारिज करमा दिया गया है। इस कारण न्यायालय हजा मे वादपत्र उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि के हुये गलत रजिस्टर्ड बयनामा को शून्य घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः जवाब दावा मिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 06 लगायत 08 की ओर से प्रस्तुत कर

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible]

निवेदन है कि वादिया के हिस्से की 19 एयर भूमि के किये गये गलत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण मे तनकीयात कायम की गई:-

1 आया वादिया वाद पत्र में वर्णित भूमि मुतदाविया मे वादिया का हिस्सा 1/7 की उद्‌घोषणा करवाने की अधिकारी है। वादिया.........।

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को वादिया के हिस्सा 1/7 में स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। वादिया ... ।

3. आया वादिया बयनामा दिनांक 18.08.2019 को वादिया के हिस्से 1/7 तक नल एवं वाईड घोषित करवाने की अधिकारी है। वादिया

4. आया प्रतिवादीगण के पिता रघुवीर सिंह की मृत्यु के उपरान्त वादिया ने अपने हिस्से की भूमि की कीमत तय कर पिता की मृत्यु के समय ही वादिया ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को सौंप दिया था। तब से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त है। वादिया किसी भी प्रकार की उद्‌घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3,6 लगा. 8

5. आया वादिया का वादग्रस्त भूमि में 19 एयर पर बजमाने मुजर्गान कब्जा काश्त है प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हक में दिनांक 19.08.2019 को सहमत से किये गये रजिस्टर्ड बयनामे में वादिया के हिस्से 19 ऐयर को लौटाने को तत्पर है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3,6 लगा 8 ...

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने के बाद प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया वादिया की ओर से स्वंय शान्ती देवी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नही की गई। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र शिवचरण सिंह, रामचरण अनोप देवी, भौरीलाल का पेश किया गया वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नही की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पेश करने का निवेदन किया गया परन्तु प्रकरण में राजीनामा पेश नही होने पर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया।

बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि वा के पिता मृतक रघुवीरसिंह पुत्र हरिसिंह के हिस्सेदारी हक हकूक खातेदारी अधिकारात की पुश्तैनी भूमि रही है जिसे आगे भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादिया का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है –

वादिया के पिता रघुवीरसिंह ने अपने जीवनकाल मे वर्णित भूमि मुतदाविया मे अपने हिस्से की भूमि का बाहमी बंटवारा करके वादिया सहित प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 03 व प्रतिवादीगण सं. 06 लगायत 08, पत्नी व सभी संतानो को बराबर बराबर हिस्सो में बांटकर काबिज करा दिया था। मुताबिक बाहमी बंटवारा वादिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु वादिया के पिता रघुवीरसिंह की मृत्यु हो जाने के उपरांत प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने ग्राम पंचायत मुंडपिरस्या एवं राजस्व अलकाराम से सांठ गांठ करके विरासत के नामान्तकरण में जानबूझकर बेईमानी पूर्वक वादिया शांति एवं प्रतिवादी सं. 06 लगायत 08 सहित चारो बहिनो का नाम दर्ज नही करवाया तथा गलत व अवैध नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने पिता मृतक रघुवीरसिंह की खातेदारी भूमि की विरासत का हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वादिया मृतक रघुवीरसिंह की चल व अचल सम्पत्ति में कानूनन बराबर हिस्से की हकदार है। इसलिये वादिया उक्त भूमि मुतदाविया में अपना हिस्सा 1/7 की वरिसान के आधार पर उद्‌घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का बेचान प्रतिवादी सं. 04 व 05 को बयनामा दिनांक 18.08.2019 को तहरीर व तकमील करवा दिया जबकि उक्त विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी सं. 04 व 05 को भूमि वादग्रस्त मे कोई हक कब्जा स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त नही हुआ है। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी सं. 04 व 05 के हक में दिनांक 18.08.2019 का बयनामा वादिया के हितो के विपरीत होने के कारण प्रारंभिक रूप से ही शून्य व बेअसर है। चूंकि भूमि वादग्रस्त में वादिया का भी 1/7 हिस्सा कानूनन

हक निहित है। जिसे प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 ने बेईमानी पूर्वक राजस्व रिकार्ड में गलत अपने नाम खातेदारी दर्ज कराकर प्रतिवादी सं 04 व 05 के हक में दिनांक 16.08.2019 को बयनामा पंजीकृत करवाया है यह कानूनन वादिया के हक व अधिकारों के विपरीत है। इसलिये उक्त बयनामा दिनांक 16.08.2019 के आधार पर प्रतिवादी सं. 04 व 05 का खातेदारी मे नाम दर्ज हो गया है वह हजब किया जाकर बयनामा दिनांक 16.08.2019 वादिया के हक व अधिकारों तक "नल व वाईड" किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:-

तनकी संख्या 1 आया वादिया वाद पत्र मे वर्णित भूमि मुतदाविया मे वादिया का हिस्सा 1/7 की उद्घोषणा करवाने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा प्रकरण मे वादिया द्वारा ग्राम मुम्बापिरया की जमाबन्दी खाता संख्या नया 7 पुराना 5, खसरा संख्या नया 40 पुराना 39, खसरा संख्या नया 71 पुराना 67, की जमाबन्दी मिसल बंदोबस्त सम्वत 2052, खातौनी बन्दोबस्त सम्वत 2006 लगायत 2022, जमाबन्दी खातौनी सम्वत 2057 से 2060 खातौनी बन्दोबस्त सम्वत 2052 से 2071, नामान्तरण रजिस्टर विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2019 की प्रति पेश की गई है। उक्त दस्तावेजात के आधार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। भूमि वादग्रस्त मे वादिया के पिता रघुवीर सिंह (1/4) हिस्से मे से (1/7) अर्थात 1/28 वां हिस्सा की पैतृक भूमि की हकदार है विक्रय की गई भूमि खाता संख्या 7 रकबा 1.21 है मे से 77/484 खाता संख्या 40 रकबा 0.78 है. मे सम्पूर्ण (1/4) कुल रकबा 3.24 मे से 70 है का बेचान किया जिसमे वादिया के पिता के हिस्सा 1/4 मे से 1/7 अर्थात 1/28 भाग अर्थात 0.11 है. भूमि की हकदार है जो विक्रय पत्र के बाद विक्रेताओ के नाम बनी हुई हुई है। अपने हिस्से हेतु प्रार्थी नामान्तरण की अपील / रिवीजन करने हेतु स्वत्र है। वादिया द्वारा उक्त तनकी को साबित करने मे असफल रही है। तनकी संख्या 1 वादिया विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादिया प्रतिवादीगण को वादिया के हिस्सा 1/7 मे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। वादिया द्वारा पेश दस्तावेजात का विवेचन तनकी संख्या 1 मे किया जा चुका है। वर्तमान मे वादिया खातेदार नही इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया जा सकता है। उक्त तनकी वादिया के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादिया बयनामा दिनांक 16.08.2019 को वादिया के हिस्से 1/7 तक नल एवं वाईड घोषित करवाने की अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर भूमि वादग्रस्त मे वादिया के पिता रघुवीर सिंह (1/4) हिस्से मे से (1/7) अर्थात 1/28 वां हिस्सा की पैतृक भूमि की हकदार है विक्रय की गई भूमि खाता संख्या 7 रकबा 1.21 है. मे से 77/484 खाता संख्या 40 रकबा 0.78 है मे सम्पूर्ण (1/4) कुल रकबा 3.24 मे से 70 है का बेचान किया जिसमे वादिया के पिता के हिस्सा 1/4 मे से 1/7 अर्थात 1/28 भाग अर्थात 0.11 है. भूमि की हकदार है जो विक्रय पत्र के बाद विक्रेताओ के नाम बनी हुई हुई है। अपने हिस्से हेतु प्रार्थी नामान्तरण की अपील / रिवीजन करने हेतु स्वत्र है। इसलिये विक्रय पत्र नल एण्ड वाईड नही किया जा सकता है। वादिया द्वारा उक्त तनकी को साबित करने मे असफल रही है। तनकी संख्या 3 वादिया विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण के पिता रघुवीर सिंह की मृत्यु के उपरान्त वादिया ने अपने हिस्से की भूमि की कीमत तय कर पिता की मृत्यु के समय ही वादिया ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को सोप दिया था। तब से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त है। वादिया किसी भी प्रकार की उद्घोषणा कराने की अधिकारी नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज न्यायालय मे पेश नही किया गया है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 5 . आया वादिया का वादग्रस्त भूमि मे 19 एयर पर बजमाने बुजर्गान कब्जा काश्त है प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के हक मे दिनांक 16.08.2019 को सहवन से किये गये रजिस्टर्ड बयनामे मे

वादिया के हिस्से 19 ऐयर को लौटाने को तत्पर है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3,6 लगा 8 उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज न्यायालय मे पेश नही किया गया है। उक्त साबित करने मे प्रतिवादीगण असफल रहे है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय नही की जाती है।

अनुतोष:- तनकी संख्या 1 लगायत 5 के विवेचन के आधार पर भूमि वादग्रस्त मे वादिया के पिता रघुवीर सिंह (1/4) हिस्से मे से (1/7) अर्थात 1/28 वा हिस्सा की पैतृक भूमि की हकदार है विक्रय की गई भूमि खाता संख्या 7 रकबा 1.21 है. मे से 77/484 खाता संख्या 40 रकबा 0.78 है. मे सम्पूर्ण (1/4) कुल रकबा 3.24 मे से 70 है का बेचान किया जिसमे वादिया के पिता के हिस्सा 1/4 मे से वादिया 1/7 अर्थात 1/28 भाग अर्थात 0.11 है भूमि की हकदार है जो विक्रय पत्र के बाद विक्रेताओ के नाम बनी हुई हुई है। अपने हिस्से हेतु प्रार्थी नामान्तरण की अपील / रिवीजन करने हेतु स्वत्र है। वादिया वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादिया वाद दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम मैडी का बास तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा मे भूमि खाता सं. नया 7 पुराना 5 के आराजी शामिल ख.नं. 256 रकबा 0.61 हैक्टे एवं ख.न 639/257 रकबा 0.60 कुल किता 02 कुल रकबा 1.21 हैक्टे. व खाता सं. नया 40 पुराना 39 के खसरा न 474/588 रकबा 0.70 हैक्टे, व खसरा नं. 497/602 रकबा 0.01 हैक्टे, खसरा न 499 रकबा 0.02 हैक्टे, खसरा न 500 रकबा 0.03 हैक्टे कुल किता 04 कुल रकबा 0.78 हैक्टे, वाके ग्राम मैडी का बास तहसील बसवा जिला दौसा व खाता सं. नया 71 व पुराना 67 के खसरा नं. 475 रकबा 0.53 हैक्टे खसरा न. 578 रकबा 0.64 हैक्टे. खसरा नं 481/620 रकबा 0.10 हैक्टे कुल किता 03 कुल रकबा 1.27 हैक्टे. मे वादिया के पिता रघुवीर सिंह (1/4) हिस्से मे से (1/7) अर्थात 1/28 वां हिस्सा की पैतृक भूमि की हकदार है विक्रय की गई भूमि खाता संख्या 7 रकबा 1.21 है. मे से 77/484 खाता संख्या 40 रकबा 0.78 है. मे सम्पूर्ण (1/4) कुल रकबा 3.24 मे से 70 है का बेचान किया जिसमे वादिया के पिता के हिस्सा 1/4 मे से वादिया 1/7 अर्थात 1/28 भाग अर्थात 0.11 है. भूमि की हकदार है जो विक्रय पत्र के बाद विक्रेताओ के नाम बनी हुई हुई है। अपने हिस्से हेतु प्रार्थी नामान्तरण की अपील / रिवीजन करने हेतु स्वत्र है। वादिया वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.02.2026 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

24/2/26

(रामसिंह राजावत) एव

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

बांदीकुई